अतिमहत्वपूर्ण/सर्वोच्च प्राथमिकता/ई0मेल

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

Website-http://pwd.uk.gov.in **E-Mail-budgethodpwd@gmail.com**

पत्रांकः– 229 /78 बजट (एस0डी0आर0एफ0)/2018–19 दिनांकः– 7 /07/2018

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–।/स्तर–।।,
क्षेत्रीय /रा0राजमार्ग कार्यालय, लोक निर्माण विभाग,
देहरादून/नई टिहरी/पौड़ी/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/हल्द्वानी।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों तथा सेतुओ के पुर्ननिर्माण/तात्कालिक मरम्मत हेतु एस0डी0आर0एफ0 के मानकों के अन्तर्गत धनावंटन प्रस्ताव/आगणन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

संदर्भः– शासनादेश संख्या 1763/XVIII-(2)/18–12(4)/2013 टी0सी0 दिनांक 3.07.2018

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 3.07.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में गतिमान मानसून अवधि के दौरान राज्य में भारी वर्षा, भूस्खलन तथा प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मार्गो/सेतुओ के पुर्ननिर्माण एवं बन्द मार्गो को तात्कालिकता के आधार पर यातायात हेतु खोले जाने सम्बन्धी कार्यो, जो कि एस0डी0आर0एफ0 के मानको के अन्तर्गत आते हों, हेतु लोक निर्माण विभाग को ₹ 16.00 करोड़ की धनराशि सशर्त आवंटित की गई है। सन्दर्भित शासनादेश की छाया प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

(2) शासन द्वारा एस0डी0आर0एफ0 मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवमुक्त धनराशि ₹ 16.00 करोड़ (₹ सोलह करोड मात्र) के सापेक्ष जनपदवार एलोकेशन निम्नानुसार निर्धारित करते हुए यह भी निर्देशित करना है कि जनपदवार निर्धारित एलोकेशन की सीमान्तर्गत अपने अधीनस्थ खण्डों/वृत्तों से वित्तीय वर्ष 2018–19 मे प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के तत्कालीक मरम्मत हेतु एस0डी0आर0एफ0 के मानको के अन्तर्गत /आवश्यक प्रस्ताव/आगणन गठित कराने के उपरान्त अपनी सस्तुति सहित 10 दिनों के अन्तर्गत इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करने का कष्ट करें।

(धनराशि ₹ करोड़ में)

क0सं0	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु निर्धारित एलोकेशन
1	देहरादून	1.00
2	हरिद्वार	1.00
3	उत्तरकाशी	1.50
4	नई टिहरी	1.50
5	चमोली	1.50
6	रूद्रप्रयाग	0.75
7	पौड़ी	1.50

क0सं0	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु निर्धारित एलोकेशन
8	अल्मोड़ा	1.00
9	बागेश्वर	0.75
10	पिथौरागढ़	2.25
11	चम्पावत्	0.75
12	नैनीताल	1.50
13	ऊधमसिंह नगर	1.00
योग, उत्तराखण्ड		**16.00**

(3) एस0डी0आर0एफ0 मद के अन्तर्गत कार्यो का चयन किये जाने एंव निर्धारित मानको के अनुसार आगणन तैयार किये जाने के लिए इस सम्बन्ध मे भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ,तथा चयनित कार्यो की सस्तुंति प्रदान करने एंव विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर पर कार्यो की स्वीकृति हेतु गठित तकनीकी समिति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रकिया (पत्र स0 848/78 बजट (एस0डी0आर0एफ0)/2017–18 दिनांक 22.8.2017) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 3 .7.2018 में निहित समस्त प्राविधानों मानको के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत कार्यो का प्रस्ताव तैयार करने एंव प्रस्तावित कार्यो की स्वीकृति /अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी (विभागाध्यक्ष) से प्राप्त होने के उपरान्त आंवटित धनराशि का उपयोग निहित नियमों /मानको तथा प्राविधानित के अन्तर्गत सुनिश्चित किये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं का होगा।

कमशः पृष्ठ संख्या–2 पर

विषयक प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण एंव समयबद्व है। चयनित कार्यो के आगणन 10 दिनों के अन्तर्गत इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने की समयबद्व कार्यवाही हेतु अधीनस्थ अधीक्षण अभियन्ताओं एंव अधिशासी अभियन्ताओं को आज ही उपरोक्तानुसार दिशा–निर्देशित करने का कष्ट करें।

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन। महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपिः निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं अविलम्ब अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड, देहरादून।

(2) वरिष्ठ स्टाफ आफिसर–।।, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड, देहरादून।

(3) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/स्टाफ–आफिसर, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड, देहरादून।

(4) समस्त अधीक्षण अभियन्ता .... वॉ वृत्त लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।

(5) समस्त अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई/राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।

(6) सहायक लेखाधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता (प्रविधिक) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड, देहरादून।

(7) अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 सेल कार्यालय प्रमुख अभियन्ताएंव विभागाध्यक्ष, का विभागीय बेवसाईट में अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)